सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग

राजस्थान, जयपुर

प्रशासनिक–प्रतिवेदन

वर्ष 2021–2022

वित्त भवन, ज्योति नगर, जयपुर

दूरभाष– 2740179, 2740909, 2744789

फैक्स : 0141–2740193

Website: lfad.rajasthan.gov.in

E-mail: dir.lfad@rajasthan.gov.in

प्रशासनिक–प्रतिवेदन

वर्ष 2021–2022

अनुक्रमणिका

क्र.स.	विषय सूची	पृष्ठ संख्या
	प्रस्तावना	1–2
1	विभाग का संगठनात्मक ढांचा	3–4
	1.1 प्रशासनिक संगठन	3
	1.2 क्षेत्रीय कार्यालयों का क्षेत्राधिकार	4
2	स्वीकृत, कार्यरत तथा रिक्त पदों का विवरण	5
3	विभागीय प्रमुख कार्य तथा प्रत्येक प्रमुख कार्य के विरूद्ध आलौच्य वर्ष में प्रगति एवं उसकी विगत तीन वर्ष से तुलना	6–18
	3.1 अंकेक्षण प्रक्रिया	6
	3.2 अंकेक्षण कार्य की प्रगति/स्थिति	7–8
	3.3 बजट	8
	3.4 आक्षेपों की स्थिति	9
	(अ) सामान्य आक्षेप (विगत तीन वर्षों की स्थिति)	9
	(ब) सामान्य आक्षेप दिनांक 31.12.2021 की स्थिति	10
	(स) प्रारूप प्रालेख 'अ' श्रेणी (विगत तीन वर्षों की स्थिति)	11
	(द) प्रारूप प्रालेख 'अ' श्रेणी दिनांक 31.12.2021 की स्थिति	12
	(य) प्रारूप प्रालेख 'ब' श्रेणी (विगत तीन वर्षों की स्थिति)	13
	(र) प्रारूप प्रालेख 'ब' श्रेणी दिनांक 31.12.2021 की स्थिति	14
	(ल) गबन प्रकरण (विगत तीन वर्षों की स्थिति)	15
	(व) गबन प्रकरण दिनांक 31.12.2021 की स्थिति	16
	(श) विशेष अंकेक्षण की प्रगति/स्थिति	17
	(ष) अंकेक्षण शुल्क की स्थिति	18
4	आलोच्य वर्ष की विशेष पहल एवं उपलब्धि	19
5	सार–संक्षेप	19

प्रस्तावना

राजस्थान राज्य की स्थापना के पूर्व से ही स्थानीय निकायों का अंकेक्षण महालेखाकार द्वारा किया जाता रहा था। इस कार्य को 15 नवम्बर, 1953 से राजस्थान सरकार ने महालेखाकार से अपने नियंत्रण में ले लिया और इस हेतु स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग की स्थापना 17 दिसम्बर, 1953 को की गई। स्वायत्तशासी संस्थाओं के अंकेक्षण को वैधानिक आधार प्रदान करने के लिये राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम संख्या 28) जारी किया गया। इस अधिनियम के तहत दिनांक 26 मई, 1956 को राजस्थान स्थानीय निधि अंकेक्षण नियम, 1955 जारी किये गये। निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा अधिनियम की धारा–4 के अन्तर्गत अधिसूचित संस्थाओं के लेखों का अंकेक्षण उक्त अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत किया जाता है।

राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1954 में अधिसूचना दिनांक 15.04.2011 के द्वारा धारा–18 जोड़ी गई है, जिसके तहत निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राजस्थान–जयपुर द्वारा संपरीक्षित लेखों का वार्षिक समेकित प्रतिवेदन प्रतिवर्ष राज्य सरकार को प्रेषित किया जायेगा जो राज्य सरकार के द्वारा विधानसभा के सम्मुख प्रस्तुत किया जायेगा।

इस क्रम में विभाग द्वारा संपरीक्षित लेखों का प्रथम वार्षिक समेकित प्रतिवेदन वर्ष 2011–12 दिनांक 22 मार्च, 2013 को राजस्थान विधानसभा में उपस्थापित किया गया, तत्पश्चात वर्ष 2012–13 से वर्ष 2019–20 तक का वार्षिक समेकित प्रतिवेदन निम्नानुसार राज्य विधानसभा में उपस्थापित किया गया है:–

वार्षिक समेकित प्रतिवेदन वर्ष	उपस्थापित करने की दिनांक
2012–13	20.02.2014
2013–14	25.03.2015
2014–15	28.03.2016
2015–16	28.03.2017
2016–17	27.02.2018
2017–18	13.02.2019
2018–19	26.02.2020
2019–20	25.02.2021

वित्त (अंकेक्षण) विभाग के पत्र क्रमांक प.17(10)वित्त/अंकेक्षण/2015 दिनांक 31.08.2015 के दिशा–निर्देशानुसार राजस्थान विधानसभा की स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति द्वारा लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के परीक्षण हेतु निम्नानुसार बैठकों का आयोजन किया गया:–

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष	आयोजित बैठकों की संख्या
2011–12	12
2012–13	04
2013–14	02
2014–15	01
2015–16	01
2016–17	03
2017–18	01
2018–19	00
2019–20	00

तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिश के क्रम में वित्त (अंकेक्षण) विभाग, राजस्थान सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.10(5) वित्त/अंकेक्षण/2010 दिनांक 02.02.11 एवं दिनांक 25.04.2016 के द्वारा स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों के किये जा रहे अंकेक्षण में गुणात्मक सुधार लाने की दृष्टि से तकनीकी मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण हेतु प्रधान महालेखाकार, राजस्थान को अधिकृत किया गया है। इस क्रम में विभाग द्वारा समय–समय पर महालेखाकार राजस्थान से विचार विमर्श कर मार्गदर्शन प्राप्त किया जा रहा है।

1. विभाग का संगठनात्मक ढांचा

1.1 प्रशासनिक संगठनः–

स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग का गठन वित्त विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में 17 दिसम्बर, 1953 को किया गया था। इसके विभागाध्यक्ष निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राजस्थान है, जो राजस्थान लेखा सेवा के अधिकारी है। इनका पदस्थापन वित्त विभाग, राजस्थान द्वारा किया जाता है। विभाग का प्रशासनिक स्वरूप निम्नानुसार हैः–

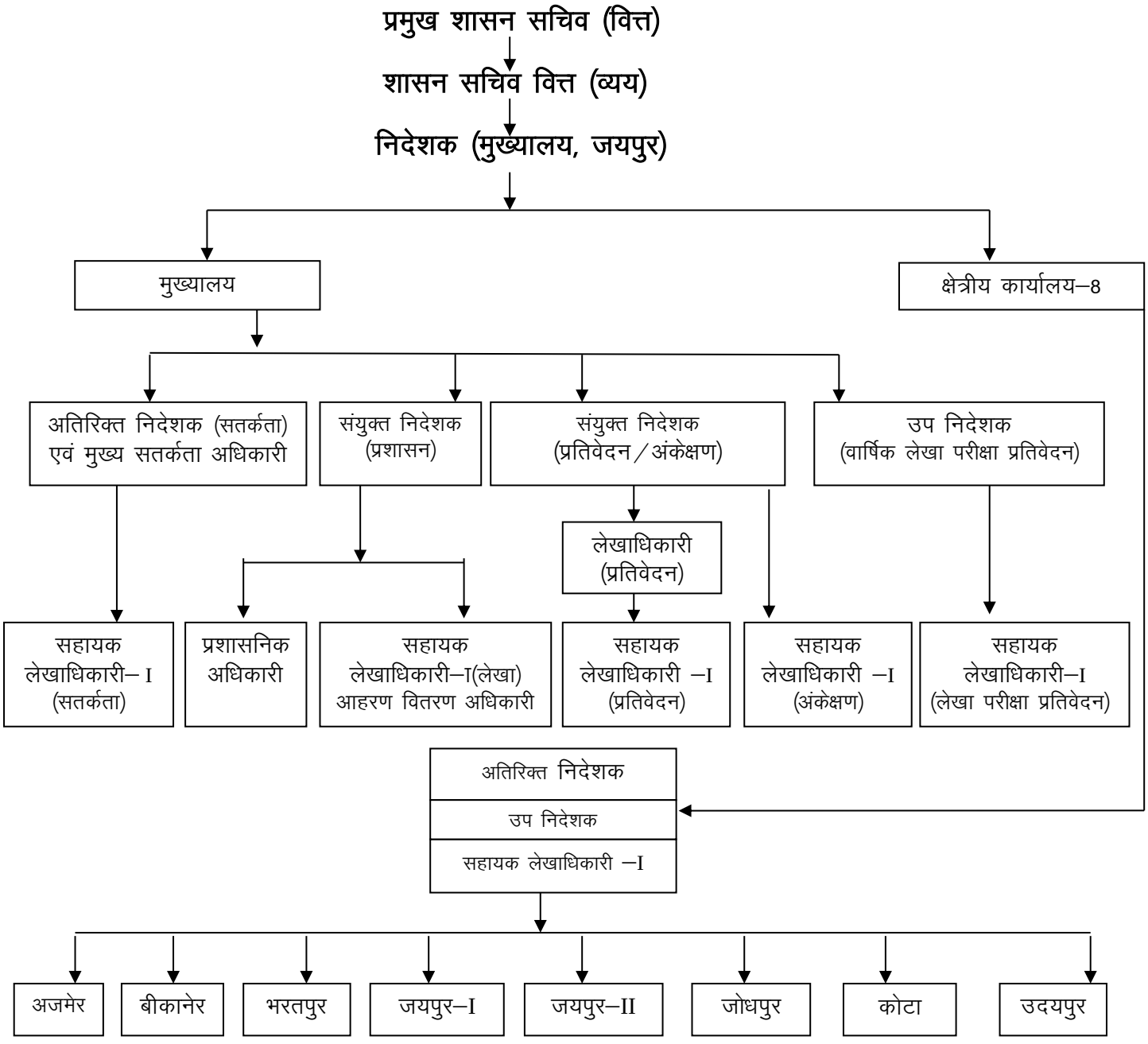

1.2 क्षेत्रीय कार्यालयों का क्षेत्राधिकार

निदेशालय के अधीनस्थ आठ क्षेत्रीय कार्यालय कार्यरत हैं जिनका कार्यक्षेत्र निम्न प्रकार हैः–

क्र. सं.	कार्यालय	क्षेत्राधिकार (जिले)	अंकेक्षण की जाने वाली संस्थाओं की संख्या	स्वीकृत अंकेक्षण दल	31.12.21 को कार्यरत अंकेक्षण दल	रिक्त
1	क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर–प्रथम फोन नं. 0141–2740223 Email Address: lfad-jpr1-rj@nic.in	(i) जयपुर (ii) सीकर	1116	21	14	7
2	क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर–द्वितीय फोन नं. 0141–2740703 Email Address: lfad-jpr2-rj@nic.in	(i) दौसा (ii) झुंझुनूं (iii) अलवर	1303	18	14	4
3	क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर फोन नं. 0145–2627792 Email Address: lfad-ajm-rj@nic.in	(i) अजमेर (ii) भीलवाड़ा (iii) नागौर (iV) टोंक	1585	29	8	21
4	क्षेत्रीय कार्यालय, जोधपुर फोन नं. 0291–2650364 Email Address: lfad-jod-rj@nic.in	(i) जोधपुर (ii) पाली (iii) जैसलमेर (iV) बाड़मेर (V) सिरोही (Vi) जालौर	2505	26	15	11
5	क्षेत्रीय कार्यालय, बीकानेर फोन नं. 0151–2542354 Email Address: lfad-bik-rj@nic.in	(i) बीकानेर (ii) चुरू (iii) श्रीगंगानगर (iV) हनुमानगढ़	1413	23	13	10
6	क्षेत्रीय कार्यालय, कोटा फोन नं. 0744–2322210 Email Address: lfad-kot-rj@nic.in	(i) कोटा (ii) बारां (iii) बूँदी (iV) झालावाड़	923	16	5	11
7	क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर फोन नं. 0294–2494230 Email Address: lfad-uda-rj@nic.in	(i) उदयपुर (ii) चित्तौड़गढ (iii) राजसमन्द (iV) डूँगरपुर (V) बाँसवाड़ा (Vi) प्रतापगढ़	2309	26	16	10
8	क्षेत्रीय कार्यालय, भरतपुर फोन नं. 05644–224075 Email Address: lfad-bha-rj@nic.in	(i) भरतपुर (ii) धौलपुर (iii) सवाईमाधोपुर (iv) करौली	1154	17	13	4
9	मुख्यालय		0	2	0	2
	योग		**12308**	**178**	**98**	**80**

2. स्वीकृत,कार्यरत एवं रिक्त पद

(31.12.2021 की स्थिति)

(1) राजपत्रित अधिकारी				
क्र.स.	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत पदों की संख्या	दिनांक 31.12.21 को रिक्त पदों की संख्या
1	निदेशक (राजस्थान लेखा सेवा–हायर सुपर टाइम स्केल)	1	1	0
2★	अतिरिक्त निदेशक (राजस्थान लेखा सेवा सुपर टाइम स्केल)	9	9	0
3♥	संयुक्त निदेशक (राजस्थान लेखा सेवा– चयनित वेतनमान)	2	1	1
4	उपनिदेशक (राजस्थान लेखा सेवा–वरिष्ठ वेतन श्रृंखला)	9	4	5
5	लेखाधिकारी	42	13	29
	(i) अंकेक्षण दल 41			
	(ii) कार्यालय 1			
6	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I	149	95	54
	(i) अंकेक्षण दल 137			
	(ii) कार्यालय 12			
7	निजी सचिव	1	1	0
8	अतिरिक्त निजी सचिव	2	2	0
9	ए.सी.पी.	0	0	0
10	प्रशासनिक अधिकारी	2	2	0
11	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	27	13	14
(2) अराजपत्रित कर्मचारीगण				
12	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–द्वितीय	7	7	0
13	कनिष्ठ लेखाकार	236	145	91
	(i) अंकेक्षण दल 182			
	(ii) कार्यालय 54			
14	निजी सहायक	6	1	5
15	शीघ्रलिपिक	8	2	6
16	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	41	31	10
17	वरिष्ठ सहायक (पूर्व पदनाम क्लर्क ग्रेड–I)	91	59	32
18▲	कनिष्ठ सहायक (पूर्व पदनाम क्लर्क ग्रेड–II)	107	86	21
19	सूचना सहायक	11	9	2
20	वाहन चालक	1	1	0
21	जमादार	1	1	0
22	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	56	20	36
	योग	**809**	**503**	**306**

★ 1 अतिरिक्त निदेशक के पद पर 1 संयुक्त निदेशक (क्षे0का0 जयपुर द्वितीय) पदस्थापित दर्शाया गया है।

★ 1 अतिरिक्त निदेशक के पद पर 1 संयुक्त निदेशक (क्षे0का0 भरतपुर) पदस्थापित दर्शाया गया है।

♥ 1 संयुक्त निदेशक अतिरिक्त निदेशक(सतर्कता) के पद के विरूद्ध पदस्थापित है।

♥ 1 अतिरिक्त निदेशक संयुक्त निदेशक (अंकेक्षण/प्रतिवेदन) के पद के विरूद्ध पदस्थापित है।

▲ कनिष्ठ सहायक के स्वीकृत 107 पदों में से 02 कनिष्ठ सहायक (MBC) के छायापद स्वीकृत हैं जो भविष्य में होने वाली रिक्तियों से समायोजित होंगे।

3. विभागीय प्रमुख कार्य तथा प्रत्येक प्रमुख कार्य के विरूद्ध आलौच्य वर्ष में प्रगति एवं उसकी विगत तीन वर्ष से तुलना

3.1 अंकेक्षण प्रक्रिया

- विभाग का मुख्य कार्य पंचायतीराज संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों, विकास प्राधिकरणों, कृषि उपज मंडी समितियों, देवस्थान विभाग, विश्वविद्यालयों एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित संस्थाओं के लेखों का वार्षिक अंकेक्षण करना है। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम 1954 की धारा 4 के अन्तर्गत अधिसूचना जारी की हुई है।
- राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत अधिसूचना जारी कर किसी अन्य संस्था की विशेष जाँच भी करायी जा सकती है।
- विभाग का अंकेक्षण वर्ष 1 जून से प्रारम्भ हो कर 31 मई को समाप्त होता है। अंकेक्षण वर्ष प्रारम्भ होने से पूर्व ही अंकेक्षणाधीन संस्थाओं का अंकेक्षण कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है। समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार अंकेक्षण दलों का गठन किया जाता है। सामान्यतः 15 मई से पूर्व संस्थावार/अंकेक्षण दलवार अंकेक्षण कार्यक्रम जारी किया जाता है, जिसकी पूर्व सूचना सम्बन्धित संस्था को भी भेजी जाती है।
- अंकेक्षण दलों द्वारा स्थानीय निधि अंकेक्षण अधिनियम 1954 एवं इसके अन्तर्गत जारी स्थानीय निधि अंकेक्षण नियम 1955 के अनुसार अंकेक्षण किया जाता है। अंकेक्षण दलों के निर्देशन हेतु विभाग द्वारा समय–समय पर अंकेक्षण निर्देश भी जारी किये जाते हैं।
- अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत अंकेक्षण दल द्वारा संस्था को आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करने के निर्देश देने तथा वांछित अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने पर सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में धारा 7 में अभियोग प्रस्तुत करने की व्यवस्था है। अभियोग प्रस्तुत करने से पूर्व सम्बन्धित अधिकारी के नियंत्रक अधिकारी से विभाग द्वारा स्वीकृति लिया जाना आवश्यक है।
- संस्थाओं के अंकेक्षण समाप्ति के 3 माह में अंकेक्षण प्रतिवेदन जारी किये जाने की व्यवस्था है। राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1954 की धारा–10 एवं राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा नियम, 1955 के नियम–28 के अनुसार निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा जारी अंकेक्षण प्रतिवेदन की प्रथम अनुपालना प्रतिवेदन जारी होने के तीन माह में प्राप्त होना अपेक्षित है।
- प्रतिवेदनों में दर्शाई गई गंभीर अनियमितताओं के संबंध में अधिनियम की धारा 11 एवं 12 के तहत सरचार्ज/चार्ज/अन्य राशि वसूली सम्बन्धी कार्यवाही करने हेतु सिफारिश सम्बन्धित नियंत्रण अधिकारी को प्रस्तुत की जाती है ताकि संस्थाओं को वित्तीय हानि पहुँचाने वाले एवं अन्य अनियमितता करने वाले अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही की जा सके।
- सम्बन्धित क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा समय – समय पर अंकेक्षण दलों का उनके कार्यरत रहने के दौरान आकस्मिक निरीक्षण किया जाता है।
- अंकेक्षण दलों के विरूद्ध शिकायतों आदि के संबंध में निदेशालय के सतर्कता अनुभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाती है एवं अंकेक्षण दलों का औचक निरीक्षण भी किया जाता है।

3.2 अंकेक्षण कार्य की प्रगति/स्थिति

विभाग के अंकेक्षण दलों द्वारा संस्थाओं के लेखों का वार्षिक अंकेक्षण किया जाता है एवं राज्य सरकार के विशिष्ठ निर्देशानुसार विशेष अंकेक्षण भी किया जाता है। इस विभाग का अंकेक्षण सत्र जून माह से प्रारंभ होकर आगामी मई माह के अंतिम कार्य दिवस तक माना जाता है।

(नोटः–अंकेक्षण वर्ष 2020–21 में कोरोना महामारी के कारण अंकेक्षण वर्ष 2021–22 का कार्यक्रम जून माह 2021 से प्रारम्भ न होकर जुलाई माह 2021 से प्रारम्भ किया गया है।)

अंकेक्षण कार्य की प्रगतिः– विभाग द्वारा किये गये अंकेक्षण कार्य की प्रगति निम्नानुसार हैः–

वर्ष 2020–21 में 10797 संस्थाओं का चालू वर्ष का व 30639 बकाया वर्षों का अंकेक्षण लम्बित था जिसके विरूद्व 4765 (44.13 प्रतिशत) चालू वर्षों तथा 5988 (19.54 प्रतिशत) बकाया वर्षों का अंकेक्षण सम्पन्न किया गया है।

अंकेक्षण वर्ष	किया गया अंकेक्षण			
	संस्थाऐं	चालू वर्ष	बकाया वर्ष	कुल वर्ष
2018–19 लक्ष्य	10755	10755	32321	43076
2018–19 लक्ष्य प्राप्ति		2554	5126	7680
2019–20 लक्ष्य	10756	10756	35396	46152
2019–20 लक्ष्य प्राप्ति		5725	9788	15513
2020–21 लक्ष्य	10797	10797	30639	41436
2020–21 लक्ष्य प्राप्ति		4765	5988	10753
2021–22 का लक्ष्य	12308	12308	30683	42991
2021–22 लक्ष्य प्राप्ति (दिनांक 31.12.2021 तक)		2646	4012	6658
संस्थाओं का लेखा प्रमाणीकरण पंचायतीराज शहरी स्थानीय निकाय		4042 122		

विभाग को वर्ष 2021–22 के दौरान 12308 संस्थाओं का चालू वर्ष का अंकेक्षण करने हेतु 32441 कार्य दिवसों की आवश्यकता थी। वर्ष के आरम्भ में अंकेक्षण हेतु उपलब्ध अनुमानित 20700 कार्य दिवस (225 कार्य दिवस प्रतिवर्ष के आधार पर) उपलब्ध थे। बकाया अंकेक्षण वर्षों सहित 42991 वर्षों के अंकेक्षण हेतु 191 अंकेक्षण दलों की आवश्यकता रही है।

राज्य सरकार द्वारा निर्देशित विशेष जांचों पर वर्ष के दौरान 718 मानव दिवसों अर्थात 277 कार्य दिवसों का उपयोग होने के कारण एवं अंकेक्षण वर्ष 2021–22 के प्रथम माह जुलाई, 2021 की अवधि में वित्त विभाग के परिपत्र प.17(1)वित्त/अंकेक्षण/2013 पार्ट–II दिनांक 16.05.2016 के निर्देशों के क्रम में केन्द्रीय चौदहवाँ वित्त आयोग एवं पंचम राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुक्रम में निष्पादन अनुदान हेतु पंचायतीराज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के वर्ष 2019–20 एवं इससे पूर्व के बकाया वार्षिक लेखों का प्रमाणीकरण कार्य किये जाने के कारण नियमित अंकेक्षण का कार्य प्रभावित हुआ है। इसके अतिरिक्त कोरोना महामारी के संदर्भ में लॉकडाउन के कारण अंकेक्षण कार्य बाधित होने के कारण अंकेक्षण वर्ष 2020–21 (01 माह) बढ़ाकर जून, 2021 तक पूर्ण हुआ था जिसके कारण अंकेक्षण वर्ष 2021–22 माह जुलाई, 2021 से प्रारम्भ हुआ है।

अंकेक्षण वर्ष 2021–22 के प्रथम माह (जुलाई) की अवधि में 4042 पंचायतीराज संस्थाओं एवं 122 शहरी स्थानीय निकायों का लेखा प्रमाणीकरण किये जाने से वर्ष 2021–22 में 01.08.2021 से 31.12.2021 की अवधि में 05 माह तक ही अंकेक्षण कार्य सम्पन्न किया गया है।

वर्ष 2020–21 में कार्यरत जांचदलों की संख्या 95 थी जबकि वर्ष 2021–22 के प्रारम्भ में 92 जांचदल कार्यरत थे। अंकेक्षण वर्ष 2021–22 के दौरान अतिरिक्त अस्थाई जांचदलों का गठन किये जाने के फलस्वरूप 31.12. 2021 को कार्यरत जांचदलों की संख्या 98 दर्शायी गई है।

अतः वर्ष 2021–22 में 01 माह की अवधि में लेखा प्रमाणीकरण किये जाने, कोरोना महामारी एवं कार्यरत जांचदलों की न्यूनता के कारण अंकेक्षण कार्य प्रभावित रहा है। शेष अंकेक्षण के 05 माह में 98 जांचदलों द्वारा अधिक से अधिक अंकेक्षण लक्ष्य की प्राप्ति की जायेगी।

3.3 बजट

इस विभाग की प्राप्तियों का एक मात्र स्त्रोत अंकेक्षण शुल्क है। अंकेक्षण दलों द्वारा संस्थाओं के अंकेक्षण सम्पादित करने के पश्चात् वित्त विभाग की आज्ञा दिनांक 26.03.2018 द्वारा अधिसूचित दरों के अनुसार अंकेक्षण शुल्क की संबंधित संस्थाओं से मांग की जाती है।

विभाग का व्यय बजट मुख्यतः कर्मचारियों के वेतन–भत्ते, यात्रा भत्ता, चिकित्सा भत्ता एवं कार्यालय व्यय इत्यादि से सम्बन्धित होता है।

निदेशालय के वर्ष 2018–19 से 2019–20 एवं 2020–21 के बजट एवं वर्ष 2021–22 में दिनांक 31.12.2021 तक की तुलनात्मक स्थिति निम्न प्रकार है :–

बजट मद

प्राप्तियां	व्यय
	माँग संख्या 25
0070–अन्य प्रशासनिक सेवाऐं	2054–खजाना तथा लेखा प्रशासन
60–अन्य सेवाऐं	098–स्थानीय निधि लेखा परीक्षा
110–सरकारी लेखा परीक्षण शुल्क	(01)–निदेशक स्थानीय निधि लेखा

(राशि लाखों में)

क्र. स.	वित्तीय वर्ष (गत तीन वर्षों की स्थिति)	प्राप्तियां		व्यय	
		बजट प्रावधान	वास्तविक प्राप्तियाँ	बजट प्रावधान	व्यय राशि
1	2018–19	700.00	791.95	3564.99	3409.96
2	2019–20	800.00	1048.21	3739.88	3592.34
3	2020–21	800.00	1006.59	4240.97	4200.50
	गत वर्ष की तुलनात्मक स्थिति				
4	2020–2021 (दि0 31.12.20 तक)	800.00	530.47	3958.64	2961.89
5	2021–2022 (दि0 31.12.21 तक)	1000.00	623.03	4726.38	3191.12

- विभाग में दिनांक 01.04.2021 को पूर्व की बकाया अंकेक्षण शुल्क राशि रु. 635.19 लाख थी जिसमें से 31.12.2021 तक राशि रु. 623.03 लाख अंकेक्षण शुल्क वसूल किया गया है जो लक्ष्यों का 62.30% है।

3.4 आक्षेपों की स्थिति–

अंकेक्षण दलों द्वारा अंकेक्षण के दौरान पाई गयी अनियमितताओं पर आक्षेपों का गठन कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाते हैं। आक्षेपों में गंभीर प्रकृति की अनियमितताओं एवं गबन संबंधी आक्षेपों का समावेश भी होता है। ऐसे आक्षेपों पर पृथक से विभागाध्यक्ष/संस्थाध्यक्ष का ध्यान आकर्षित कर आवश्यक कार्यवाही कर पालना सुनिश्चित करने हेतु लिखा जाता है। गंभीर अनियमितताओं के आधार पर विभाग द्वारा प्रारूप प्रालेखों 'अ' व 'ब' श्रेणी का गठन किया जाता है। विभाग द्वारा तय किए मापदण्डों (परिशिष्ठ''अ'') के अनुसार 'अ' श्रेणी प्रारूप प्रालेख का गठन निदेशालय द्वारा तथा 'ब' श्रेणी प्रारूप प्रालेख का गठन क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा किया जाता है।

इस प्रकार निम्न प्रकार के आक्षेपों का गठन किया जाता हैः–

1. सामान्य आक्षेप
2. गम्भीर अनियमितता सम्बन्धी प्रारूप प्रालेख ''अ'' श्रेणी
3. अनियमितता सम्बन्धी प्रारूप प्रालेख ''ब'' श्रेणी
4. गबन सम्बन्धी आक्षेप

(अ) सामान्य आक्षेपों की विगत तीन वर्षों की स्थिति निम्न प्रकार हैः–

क्र. सं.	विभाग का नाम	31.5.18 को अवशेष आक्षेप	वर्ष 2018–19			वर्ष 2019–20			वर्ष 2020–21		
			1.06.18 से 31.05.19 तक गटित आक्षेप	1.06.18 से 31.05.19 तक निरस्त आक्षेप	31.5.19 को अवशेष आक्षेप	1.06.19 से 31.07.20 तक गटित आक्षेप	1.06.19 से 31.07.20 तक निरस्त आक्षेप	31.07.20 को अवशेष आक्षेप	1.08.20 से 30.06.21 तक गटित आक्षेप	1.08.20 से 30.06.21 तक निरस्त आक्षेप	30.06.21 को अवशेष आक्षेप
1.	**पंचायतीराज विभाग**										
	(i)जिला परिषदें	2705	250	212	2743	517	269	2991	421	183	3229
	(ii) पंचायत समितियां	62569	4311	2119	64761	6270	3406	67625	8086	2111	73600
	(iii) ग्राम पंचायतें	2861004	77862	66982	2871884	124629	66640	2929873	170225	70810	3029288
	योग	**2926278**	**82423**	**69313**	**2939388**	**131416**	**70315**	**3000489**	**178732**	**73104**	**3106117**
2.	**स्थानीय निकाय विभाग**										
	(i) नगर निगम	5200	98	87	5211	97	45	5263	198	43	5418
	(ii) नगर परिषदे	13930	858	357	14431	502	886	14047	877	277	14647
	(iii) नगर पालिकाऐं	46696	2875	1662	47909	2628	2503	48034	2547	1334	49247
	योग	**65826**	**3831**	**2106**	**67551**	**3227**	**3434**	**67344**	**3622**	**1654**	**69312**
3.	**नगरीय विकास एवं आवासन विभाग**										
	(i)जयपुर विकास प्राधिकरण	971	0	27	944	90	81	953	86	4	1035
	(ii)जोधपुर विकास प्राधिकरण	491	0	39	452	0	66	386	130	8	508
	(iii)अजमेर विकास प्राधिकरण	959	0	0	959	0	10	949	0	1	948
	(iv)राजस्थान आवासन मण्डल	3960	402	286	4076	536	336	4276	620	361	4535
	(v) नगर सुधार न्यास	2318	357	125	2550	273	231	2592	245	84	2753
	योग	**8699**	**759**	**477**	**8981**	**899**	**724**	**9156**	**1081**	**458**	**9779**
4.	**कृषि विभाग**										
	(i) कृषि विपणन बोर्ड	576	98	71	603	150	105	648	235	96	787
	(ii) कृषि उपज मंडी समिति	6388	1555	898	7045	1600	1574	7071	1527	615	7983
	योग	**6964**	**1653**	**969**	**7648**	**1750**	**1679**	**7719**	**1762**	**711**	**8770**
5.	**अन्य संस्थायें**	11431	492	604	11319	796	750	11365	876	635	11606
	योग	**11431**	**492**	**604**	**11319**	**796**	**750**	**11365**	**876**	**635**	**11606**
	महायोग	**3019198**	**89158**	**73469**	**3034887**	**138088**	**76902**	**3096073**	**186073**	**76562**	**3205584**

विभाग का आडिट सत्र जून माह के प्रथम दिवस से प्रारंभ होने के कारण आक्षेप संबंधी सूचनायें 1/6 से 31/5 तक की अवधि की संकलित की जाती है। **नोटः– अंकेक्षण वर्ष 2021–22 का ऑडिट सत्र कोरोना महामारी के कारण माह जुलाई, 2021 के प्रथम दिवस से प्रारम्भ हुआ।**

(ब) सामान्य आक्षेप दिनांक 31.12.2021 की स्थिति–

क्र. सं.	विभाग का नाम	31.12.20 को अवशेष आक्षेप	1.1.21 से 30.06.21 तक की स्थिति		30.06.21 को अवशेष आक्षेप	1.07.21 से 31.12.21 की स्थिति		31.12.21 को अवशेष आक्षेप
			गठित आक्षेप	निस्तारित आक्षेप		गठित आक्षेप	निस्तारित आक्षेप	
1.	**पंचायती राज विभाग**							
	(i)जिला परिषदें	3096	200	67	3229	63	154	3138
	(ii) पंचायत समितियां	69985	4809	1194	73600	5112	1644	77068
	(iii) ग्राम पंचायतें	2936924	109099	16735	3029288	82832	5752	3106368
	योग	**3010005**	**114108**	**17996**	**3106117**	**88007**	**7550**	**3186574**
2.	**स्थानीय निकाय विभाग**							
	(i) नगर निगम	5249	198	29	5418	0	22	5396
	(ii) नगर परिषदे	14351	422	126	14647	203	158	14692
	(iii) नगर पालिकाऐं	48607	1488	848	49247	512	470	49289
	योग	**68207**	**2108**	**1003**	**69312**	**715**	**650**	**69377**
3.	**नगरीय विकास एवं आवासन विभाग**							
	(i)जयपुर विकास प्राधिकरण	952	86	3	1035	0	0	1035
	(ii)जोधपुर विकास प्राधिकरण	386	130	8	508	0	10	498
	(iii)अजमेर विकास प्राधिकरण	949	0	1	948	0	7	941
	(iv)राजस्थान आवासन मण्डल	4356	415	236	4535	19	352	4202
	(v) नगर सुधार न्यास	2564	224	35	2753	175	104	2824
	योग	**9207**	**855**	**283**	**9779**	**194**	**473**	**9500**
4.	**कृषि विभाग**							
	(i) कृषि विपणन बोर्ड	731	111	55	787	44	79	752
	(ii) कृषि उपज मंडी समिति	7475	791	283	7983	306	538	7751
	योग	8206	902	338	8770	350	617	8503
5.	**अन्य संस्थायें**	11220	605	219	11606	298	299	11605
	योग	**11220**	**605**	**219**	**11606**	**298**	**299**	**11605**
	महायोग	**3106845**	**118578**	**19839**	**3205584**	**89564**	**9589**	**3285559**

(स) प्रारूप प्रालेख 'अ' श्रेणी (विगत तीन वर्षों की स्थिति)

''अ'' श्रेणी के बकाया प्रारूप प्रालेखों की विगत तीन वर्षों की तुलनात्मक स्थिति

क्र. सं.	विभाग का नाम	31.05.18 को अवशेष आक्षेप	वर्ष 2018–19			वर्ष 2019–20			वर्ष 2020–21		
			01.06.18 से 31.05.19 तक गठित आक्षेप	01.06.18 से 31.05.19 तक निरस्त आक्षेप	31.05.19 को अवशेष आक्षेप	01.06.19 से 31.05.20 तक गठित आक्षेप	01.06.19 से 31.05.20 तक निरस्त आक्षेप	31.05.20 को अवशेष आक्षेप	01.06.20 से 31.05.21 तक गठित आक्षेप	01.06.20 से 31.05.21 तक निरस्त आक्षेप	31.05.21 को अवशेष आक्षेप
1	**पंचायती राज विभाग**										
	(1) जिला परिषदें	33	0	0	33	0	21	12	0	1	11
	(2) पंचायत समितियां	1022	5	2	1025	4	532	497	4	7	494
	योग (1)	**1055**	**5**	**2**	**1058**	**4**	**553**	**509**	**4**	**8**	**505**
2	**स्थानीय निकाय विभाग**										
	(1) नगर निगम	280	6	2	284	12	86	210	2	25	187
	(2) नगर परिषदे	346	1	0	347	20	96	271	27	27	271
	(3) नगर पालिकाऐं	665	15	1	679	33	170	542	12	65	489
	योग (2)	**1291**	**22**	**3**	**1310**	**65**	**352**	**1023**	**41**	**117**	**947**
3	**नगरीय विकास एवं आवासन विभाग**										
	(1) जयपुर विकास प्राधिकरण	104	13	0	117	20	96	41	2	18	25
	(2) जोधपुर विकास प्राधिकरण	41	0	1	40	0	12	28	0	0	28
	(3) अजमेर विकास प्राधिकरण	66	0	0	66	0	6	60	0	24	36
	(4) राजस्थान आवासन मण्डल	81	0	0	81	0	25	56	0	0	56
	(5) नगर सुधार न्यास	96	1	0	97	3	40	60	10	1	69
	योग (3)	**388**	**14**	**1**	**401**	**23**	**179**	**245**	**12**	**43**	**214**
4	**कृषि विभाग**										
	(1) कृषि विपणन बोर्ड	11	0	2	9	0	4	5	0	1	4
	(2) कृषि उपज मण्डी समिति	57	0	1	56	1	25	32	0	3	29
	योग (4)	**68**	**0**	**3**	**65**	**1**	**29**	**37**	**0**	**4**	**33**
5	**अन्य संस्थाऐं**	30	0	1	29	0	4	25	0	4	21
	योग (5)	**30**	**0**	**1**	**29**	**0**	**4**	**25**	**0**	**4**	**21**
	महायोग	**2832**	**41**	**10**	**2863**	**93**	**1117**	**1839**	**57**	**176**	**1720**

तुलनात्मक विवरण टिप्पणी

नोटः–1 वर्ष 2020–21 में नगर पालिका से 15 संस्थाए नगर परिषद में परिवर्तित हुई है।

नोटः–2 1 जून 2020 से 31 मई 2021 तक निरस्त 176 आक्षेपों में से 43 आक्षेप निरस्त (जिला परिषद–1, पंचायत समिति–3, नगर निगम–3, नगर परिषद–8, नगर पालिका–22, जयपुर विकास प्राधिकरण–1, कृषि विपणन बोर्ड–1, कृषि उपज मण्डी समिति–2, अन्य संस्थाए–4) नगर निगम का 1 आक्षेप सामान्य श्रेणी में परिवर्तित हुआ है एवं 48 आक्षेप 'ब' श्रेणी में परिवर्तित (पंचायत समिति–1, नगर निगम–14, नगर परिषद–2, नगर पालिका–7, अजमेर विकास प्राधिकरण–24) हुए है 84 आक्षेप लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में शामिल (पंचायत समिति–3, नगर निगम–9, नगर परिषद–17, नगर पालिका–36, जयपुर विकास प्राधिकरण–17, नगर सुधार न्यास–1, कृषि उपज मण्डी समिति–1)

(द) प्रारूप प्रालेख_'अ' श्रेणी दिनांक 31.12.2021 की स्थिति :–

क्र.सं.	विभाग का नाम	31.12.20 को अवशेष आक्षेप	01.01.21 से 31.05.21 तक नवगठित आक्षेप	01.01.21 से 31.05.21 तक निरस्त आक्षेप/सामान्य/'ब' श्रेणी परिवर्तन	31.05.21 को अवशेष आक्षेप	01.06.21 से 31.12.21 तक नवगठित आक्षेप	01.06.21 से 31.12.21 तक निरस्त आक्षेप ले.प्र. प्रतिवेदन में शामिल/'ब' श्रेणी में परिवर्तित	31.12.21 को अवशेष आक्षेप
1	**पंचायती राज विभाग**							
	(1) जिला परिषदे	11	0	0	11	0	2	9
	(2) पंचायत समितियां	492	3	1	494	2	41	455
	योग (1)	**503**	**3**	**1**	**505**	**2**	**43**	**464**
2	**स्थानीय निकाय विभाग**							
	(1) नगर निगम	202	1	16	187	'31	28	190
	(2) नगर परिषदे	273	1	3	271	21	49	243
	(3) नगर पालिकाऐं	496	1	8	489	56	105	440
	योग (2)	**971**	**3**	**27**	**947**	**108**	**182**	**873**
3	**नगरीय विकास एवं आवासन विभाग**							
	(1) जयपुर विकास प्राधिकरण	25	0	0	25	11	4	32
	(2) जोधपुर विकास प्राधिकरण	28	0	0	28	0	0	28
	(3) अजमेर विकास प्राधिकरण	60	0	24	36	0	4	32
	(4) राजस्थान आवासन मण्डल	56	0	0	56	0	3	53
	(5) नगर सुधार न्यास	66	3	0	69	3	26	46
	योग (3)	**235**	**3**	**24**	**214**	**14**	**37**	**191**
4	**कृषि विभाग**							
	(1) कृषि विपणन बोर्ड	5	0	1	4	1	0	5
	(2) कृषि उपज मण्डी समिति	29	0	0	29	0	2	27
	योग (4)	34	0	1	33	1	2	32
5	**अन्य संस्थाऐं**	21	0	0	21	2	1	22
	योग (5)	21	0	0	21	2	1	22
	महायोग	**1764**	**9**	**53**	**1720**	**127**	**265**	**1582**

नोट :–

नोटः– 1 जनवरी 2021 से 31 मई 2021 तक निरस्त आक्षेपों में से से 5 आक्षेप निरस्त (नगर निगम–1, नगर परिषद–2, नगर पालिका–1, कृषि विपणन बोर्ड–1), नगर निगम का 1 आक्षेप सामान्य में परिवर्तित हुआ है एवं 47 आक्षेप 'ब' श्रेणी में परिवर्तित (पंचायत समिति–1, नगर निगम–14, नगर परिषद–1, नगर पालिका–7, अजमेर विकास प्राधिकरण–24) हुए है

नोटः–2 1 जून 2021 से 31 दिसम्बर 2021 तक निरस्त 265 आक्षेपों में से 6 आक्षेप निरस्त (नगर पालिका–5, राजस्थान आवासन मण्डल–1,) 214 आक्षेप 'ब' श्रेणी में परिवर्तित (जिला परिषद–2, पंचायत समिति–39, नगर निगम–23, नगर परिषद–33, नगर पालिका–88, जयपुर विकास प्राधिकरण–2, अजमेर विकास प्राधिकरण–4, राजस्थान आवासन मण्डल–2, नगर सुधार न्यास–18, कृषि उपज मण्डी समिति–2, अन्य संस्थाए–1) एवं 45 आक्षेप लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में शामिल (पंचायत समिति–2, नगर निगम–5, नगर परिषद–16 नगर पालिका–12, जयपुर विकास प्राधिकरण–2, नगर सुधार न्यास–8,)होने से बकाया सूची से हटाए गए

(य) प्रारूप प्रालेख ''ब'' श्रेणी (विगत तीन वर्षों की स्थिति)

''ब'' श्रेणी के बकाया प्रारूप प्रालेखों की विगत तीन वर्षों की तुलनात्मक स्थिति निम्न प्रकार है:–

क्र. सं.	विभाग का नाम	31.5.18 को अवशेष आक्षेप	वर्ष 2018–19			वर्ष 2019–20			वर्ष 2020–21		
			1.06.18 से 31.05.19 तक गटित आक्षेप	1.06.18 से 31.05.19 तक निरस्त आक्षेप	31.5.19 को अवशेष आक्षेप	1.06.19 से 31.07.20 तक गटित आक्षेप	1.06.19 से 31.07.20 तक निरस्त आक्षेप	31.07.20 को अवशेष आक्षेप	1.08.20 से 30.06.21 तक गटित आक्षेप	1.08.20 से 30.06.21 तक निरस्त आक्षेप	30.06.21 को अवशेष आक्षेप
1.	**पंचायतीराज विभाग**										
	(i)जिला परिषदें	111	9	3	117	92	11	198	8	5	201
	(ii) पंचायत समितियां	2502	150	26	2626	784	52	3358	411	28	3741
	योग	**2613**	**159**	**29**	**2743**	**876**	**63**	**3556**	**419**	**33**	**3942**
2.	**स्थानीय निकाय विभाग**										
	(i) नगर निगम	198	5	0	203	38	0	241	5	4	242
	(ii) नगर परिषदें	468	45	0	513	156	11	658	2	6	654
	(iii) नगर पालिकाऐं	1332	105	9	1428	211	96	1543	83	16	1610
	योग	**1998**	**155**	**9**	**2144**	**405**	**107**	**2442**	**90**	**26**	**2506**
3.	**नगरीय विकास एवं आवासन विभाग**										
	(i)जयपुर विकास प्राधिकरण	46	0	0	46	26	5	67	0	0	67
	(ii)जोधपुर विकास प्राधिकरण	61	0	0	61	0	0	61	0	0	61
	(iii)अजमेर विकास प्राधिकरण	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	(iv)राजस्थान आवासन मण्डल	119	21	7	133	22	6	149	6	0	155
	(v) नगर सुधार न्यास	173	21	0	194	19	5	208	3	1	210
	योग	**399**	**42**	**7**	**434**	**67**	**16**	**485**	**10**	**1**	**494**
4.	**कृषि विभाग**										
	(i) कृषि विपणन बोर्ड	42	1	0	43	1	2	42	11	0	53
	(ii) कृषि उपज मंडी समिति	186	27	16	197	47	23	221	21	10	232
	योग	**228**	**28**	**16**	**240**	**48**	**25**	**263**	**32**	**10**	**285**
5.	**अन्य संस्थायें**	71	7	1	77	8	5	80	0	3	77
	योग	**71**	**7**	**1**	**77**	**8**	**5**	**80**	**0**	**3**	**77**
	महायोग	**5309**	**391**	**62**	**5638**	**1404**	**216**	**6826**	**551**	**73**	**7304**

(र) प्रारूप प्रालेख ''ब'' श्रेणी दिनांक 31.12.2021 की स्थितिः–

क्र. सं.	विभाग का नाम	31.12.20 को अवशेष प्रारूप प्रालेख	1.1.21 से 30.06.21 तक की स्थिति		30.06.21 को अवशेष प्रारूप प्रालेख	1.07.21 से 31.12.21 की स्थिति		31.12.21 को अवशेष प्रारूप प्रालेख
			गठित प्रारूप प्रालेख	निस्तारित प्रारूप प्रालेख		गठित प्रारूप आक्षेप	निस्तारित प्रारूप प्रालेख	
1.	**पंचायती राज विभाग**							
	(i)जिला परिषदें	199	3	1	201	4	17	188
	(ii) पंचायत समितियां	3458	308	25	3741	182	25	3898
	योग	**3657**	**311**	**26**	**3942**	**186**	**42**	**4086**
2.	**स्थानीय निकाय विभाग**							
	(i) नगर निगम	238	5	1	242	29	1	270
	(ii) नगर परिषदें	653	2	1	654	92	1	745
	(iii)नगर पालिकाऐं	1555	65	10	1610	78	105	1583
	योग	**2446**	**72**	**12**	**2506**	**199**	**107**	**2598**
3.	**नगरीय विकास एवं आवासन विभाग**							
	(i)जयपुर विकास प्राधिकरण	67	0	0	67	0	0	67
	(ii)जोधपुर विकास प्राधिकरण	61	0	0	61	0	0	61
	(iii)अजमेर विकास प्राधिकरण	0	58	0	58	20	6	72
	(iv)राजस्थान आवासन मण्डल	149	5	0	154	14	19	149
	(v) नगर सुधार न्यास	208	2	56	154	23	8	169
	योग	**485**	**65**	**56**	**494**	**57**	**33**	**518**
4.	**कृषि विभाग**							
	(i) कृषि विपणन बोर्ड	49	4	0	53	0	0	53
	(ii) कृषि उपज मण्डी समिति	229	8	5	232	33	8	257
	योग	**278**	**12**	**5**	**285**	**33**	**8**	**310**
5.	**अन्य संस्थायें**	79	0	2	77	29	11	95
	योग	**79**	**0**	**2**	**77**	**29**	**11**	**95**
	महायोग	**6945**	**460**	**101**	**7304**	**504**	**201**	**7607**

(ल) गबन प्रकरण (विगत तीन वर्षों की स्थिति)

बैंक से राशि आहरित कर रोकड़ पुस्तिका में इन्द्राज नहीं करना, राजस्व प्राप्तियों का रोकड़ पुस्तिकाओं में इन्द्राज नहीं करना, बिना वाऊचर के व्यय पक्ष में इन्द्राज कर राशि का अपहरण, रोकड़ पुस्तिका वाऊचर आदि में अंकगणितीय, योगात्मक एवं शेष को आगे कम दर्ज कर राशि का अपहरण करना, भण्डार के सामान कम दर्शाये जाने को गबन की श्रेणी में माना जाता है।

अंकेक्षण के दौरान ऐसे प्रकरण ध्यान में आने पर संस्था को निर्धारित प्रपत्र(एल.ए.ड़ी.–4) अंकेक्षण दल द्वारा जारी किया जाता है। अंकेक्षण समाप्ति तक अनुपालना प्रस्तुत नहीं करने पर प्रकरण को अंकेक्षण प्रतिवेदन में शामिल कर गबन प्रकरण का एल.ए.ड़ी.–44 जारी कर संस्था प्रधान, नियंत्रण अधिकारी एवं निदेशालय के ध्यान में लाया जाता है। राशि 50,000/– रूपये तक के गबन प्रकरणों की मॉनिटरिंग क्षेत्रीय कार्यालय स्तर से तथा रू. 50,000/– से अधिक के गबन प्रकरणों की मॉनिटरिंग निदेशालय स्तर से की जाती है। विभाग में लम्बित गबन प्रकरणों के विगत तीन वर्षों की स्थिति निम्न प्रकार हैः–

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	संस्था वर्ग	अंकेक्षण वर्ष 2018–19 की स्थिति		अंकेक्षण वर्ष 2019–20 की स्थिति		अंकेक्षण वर्ष 2020–21 की स्थिति	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	**पंचायती राज विभाग**						
	1. जिला परिषदें	2	1.89	3	1.89	3	1.89
	2. पंचायत समितियां	367	447.20	372	461.79	368	494.19
	3. ग्राम पंचायते	6952	1432.92	6883	1451.07	6728	1746.99
	योग (1)	**7321**	**1882.01**	**7258**	**1914.75**	**7099**	**2243.07**
2	1.राष्ट्रीय पोषाहार (प्रा0 शिक्षा)	54	813.78	54	813.78	54	813.78
	योग(2)	**54**	**813.78**	**54**	**813.78**	**54**	**813.78**
3	**स्थानीय निकाय विभाग**						
	1. नगर निगम	55	99.31	45	98.07	45	98.07
	2. नगर परिषदें	19	6.53	26	9.92	18	8.62
	3. नगर पालिकाऐं	168	143.17	175	189.89	172	188.27
	योग (3)	**242**	**249.01**	**246**	**297.88**	**235**	**294.96**
4	**नगरीय विकास एवं आवासन विभाग**						
	1. विकास प्राधिकरण	0	0	0	0	0	0
	2. नगर सुधार न्यास	1	35.89	1	35.89	1	35.89
	3. आवासन मण्ड़ल	6	53.53	6	53.53	6	53.53
	योग (4)	**7**	**89.42**	**7**	**89.42**	**7**	**89.42**
5	**कृषि विभाग**						
	1. कृषि विपणन बोर्ड	1	0.00	0	0.00	0	0
	2. कृ.उ.मण्ड़ी समिति	8	3.17	9	3.27	10	3.30
	योग (5)	**9**	**3.17**	**9**	**3.27**	**10**	**3.30**
6	**अन्य संस्थाएँ**	59	69.78	50	70.28	49	70.28
	योग (6)	59	69.78	50	70.28	49	70.28
	महायोग	**7692**	**3107.17**	**7624**	**3189.38**	**7454**	**3514.81**
			***+10 ग्राम सोना**		***+10 ग्राम सोना**		***+10 ग्राम सोना**

*** राष्ट्रीय सुरक्षा कोष, श्रीगंगानगर के अंकेक्षण प्रतिवेदन 1963–64 में 10 ग्राम सोना भण्डार में कम पाया गया।**

(व) गबन प्रकरण दिनांक 31.12.2021 की स्थिति

दिनांक 31.12.21 तक स्वायत्तशाषी संस्थाओं के लेखों के अंकेक्षण के दौरान गठित, लम्बित गबन प्रकरण एवं उनके निस्तारण की स्थितिः–

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	संस्था वर्ग	31.12.20 को बकाया गबन प्रकरण		1.1.21 से 31.12.21 तक गठित गबन प्रकरण		1.1.21 से 31.12.21 तक निस्तारित गबन प्रकरण		31.12.21 को बकाया गबन प्रकरण	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	**पंचायती राज विभाग**								
	1. जिला परिषदें	3	1.89	0	0	0	0	3	1.89
	2. पंचायत समितियां	368	494.19	11	13.87	05	1.22	374	506.84
	3. ग्राम पंचायतें	6728	1746.99	43	64.08	83	11.32	6688	1799.75
	योग (1)	**7099**	**2243.07**	**54**	**77.95**	**88**	**12.54**	**7065**	**2308.48**
2	1. राष्ट्रीय पोषाहार (प्रा0 शिक्षा)	54	813.78	0	0	0	0	**54**	**813.78**
	योग(2)	**54**	**813.78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54**	**813.78**
3	**स्थानीय निकाय विभाग**								
	1. नगर निगम	45	98.07	1	0.28	1	0.89	45	97.45
	2. नगर परिषदें	18	8.62	6	648.2	1	0.8	23	656.02
	3. नगर पालिकाऐं	172	188.27	34	4.53	5	0.25	201	192.55
	योग (3)	**235**	**294.96**	**41**	653.01	**7**	**1.94**	**269**	**946.02**
4	**नगरीय विकास एवं आवासन विभाग**								
	1. जयपुर विकास प्राधिकरण	0	0	0	0	0	0	0	
	2.जोधपुर विकास प्राधिकरण	0	0	0	0	0	0	0	
	3. नगर सुधार न्यास	1	35.89	0	0	0	0	1	35.89
	4. आवासन मण्डल	6	53.53	0	0	0	0	6	53.53
	योग (4)	**7**	**89.42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7**	**89.42**
5	**कृषि विभाग**								
	1. कृषि विपणन बोर्ड	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. कृ.उ.मण्ड़ी समिति	10	3.30	0	0	1	0.03	9	3.27
	योग (5)	**10**	**3.30**	**0**	**0**	**1**	**0.03**	**9**	**3.27**
6	**अन्य संस्थाएँ**	49	70.28	6	3.26	1	0.01	54	73.53
	योग (6)	**49**	**70.28**	**6**	**3.26**	**1**	**0.01**	**54**	**73.53**
	महायोग	**7454**	**3514.81**	**101**	**734.22**	**97**	**14.52**	**7458**	**4234.50**
			+10 ग्राम सोना						+10ग्राम सोना

★राशि रूपये 500/– से कम होने के कारण 0.00 दर्शाई गई है।

★★राष्ट्रीय सुरक्षा कोष, श्रीगंगानगर के अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1963–64 में 10 ग्राम सोना भण्डार में कम पाया गया।

(श). विशेष अंकेक्षण की प्रगति/स्थिति

विभाग द्वारा स्वायत्तशाषी संस्थाओं के नियमित अंकेक्षण के अलावा राज्य सरकार स्थानीय निधि अंकेक्षण अधिनियम की धारा–4 के अन्तर्गत किसी भी संस्था को अधिसूचित कर इस विभाग को ऐसी संस्था का अंकेक्षण करने का निर्देश प्रदान कर सकती है। इसके अन्तर्गत वित्त विभाग तथा संस्थाओं/संस्थाओं के नियंत्रण अधिकारियों के अनुरोध पर पूर्व वर्षों की बकाया 3 एवं वित्तीय वर्ष 2021–22 में (दिनांक 31.12.2021) तक 1 संस्था की विशेष जांच हेतु निर्देशित किया गया, जिनमें से 2 विशेष जांच प्रकरण पूर्ण किये जाकर जांच प्रतिवेदन जारी किये जा चुके है शेष 2 विशेष जांच प्रकरण प्रक्रियाधीन है।

1 विशेष जांच प्रकरण

"अ" श्रेणी के विशेष जांच प्रकरणों की मॉनीटरिंग निदेशालय स्तर पर की जाती है। विभाग में लम्बित विशेष जांच प्रकरणों के विगत 3 वर्षों की स्थिति निम्न प्रकार है :–

क्र. सं.	नाम संस्थायें	वित्तीय वर्ष 2018–19 की स्थिति			वित्तीय वर्ष 2019–20 की स्थिति			वित्तीय वर्ष 2020–21 की स्थिति		
		प्रतिवेदनों की संख्या	**कुल आक्षेप**	**बकाया आक्षेप**	**प्रतिवेदनों की संख्या**	**कुल आक्षेप**	**बकाया आक्षेप**	**प्रतिवेदनों की संख्या**	**कुल आक्षेप**	**बकाया आक्षेप**
1	पंचायतीराज विभाग	61	1578	1201	61	1564	1187	61	1564	1174
2	स्थानीय निकाय विभाग	31	495	411	31	495	411	30	488	408
3	शहरी विकास प्राधिकरण, नगर सुधार न्यास एवं आवासन मण्डल	11	216	141	11	216	140	11	216	140
4	कृषि विभाग	01	15	14	01	15	14	01	15	11
5	आरपीएमएफ	8	304	151	08	304	151	08	304	151
6	अन्य संस्थायें	45	1479	1148	52	1638	1307	54	1665	1294
	योग	**157**	**4087**	**3066**	**164**	**4232**	**3210**	**165**	**4252**	**3178**

2 31.12.2021 को विशेष जांच प्रतिवेदन के बकाया आक्षेपों की स्थिति

क्र.सं	**नाम संस्था**	**'अ' श्रेणी**			**'ब' श्रेणी**		
		प्रतिवेदनों की संख्या	**कुल आक्षेप**	**बकाया आक्षेप**	**प्रतिवेदनों की संख्या**	**कुल आक्षेप**	**बकाया आक्षेप**
1	पंचायती राज संस्थाऐं	65	1612	1220	302	6451	4592
2	शहरी स्थानीय निकाय	30	488	408	140	2990	1637
3	शहरी विकास प्राधिकरण, नगर सुधार न्यास, आवासन मण्डल	11	216	140	14	304	148
4	कृषि विभाग की संस्थाएं	01	15	11	16	115	83
5	आरपीएमएफ	8	304	144	4	52	52
6	अन्य संस्थायें	54	1665	1286	14	356	312
	योग	169	4300	3209	490	10268	6824

(ष) अंकेक्षण–शुल्क की स्थिति

स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा स्वायत्तशाषी संस्थाओं के अंकेक्षण हेतु वित्त विभाग द्वारा निर्धारित दरों पर अंकेक्षण शुल्क वसूल किया जाता है। वित्त (अंकेक्षण) विभाग के पत्रांक प. 10(10)वित्त/अंकेक्षण/98 जयपुर दिनांक 26.03.2018 (दिनांक 01.06.2018 से प्रभावी)से पंचायतीराज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकाय संस्थाओं हेतु अंकेक्षण शुल्क का निम्न प्रकार निर्धारण किया गया है।

क्र.सं.	संस्था का नाम	अंकेक्षण शुल्क की दरें
1	जिला परिषद	रू. 13,000/–प्रतिवर्ष प्रति जिला परिषद
2	पंचायत समिति	रू. 32,000/–प्रतिवर्ष प्रति पंचायत समिति
3	ग्राम पंचायत	रू. 4000/–प्रतिदिन प्रति ग्राम पंचायत
4	अन्य संस्थाऐं	रू. 4000/–प्रतिदिन प्रति संस्था

वित्त (अंकेक्षण) विभाग के पत्रांक प.10(10)वित्त/अंकेक्षण/98 जयपुर दिनांक 25.04.2018 से पंचायतीराज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकाय संस्थाओं हेतु निर्धारित अंकेक्षण शुल्क वसूली की दरों का लेखा प्रमाणीकरण व अंकेक्षण कार्य हेतु विभाजन करने की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की गई है :–

क्र. सं.	संस्था का नाम	अंकेक्षण कार्य तथा लेखों का प्रमाणीकरण एक साथ होने की स्थिति में समसंख्यक आज्ञा दिनांक 26.03.2018 के अनुसार अंकेक्षण शुल्क की दर (राशि रूपये में)	अंकेक्षण कार्य तथा लेखों का प्रमाणीकरण अलग होने की स्थिति में	
			प्रमाणीकरण कार्य हेतु आनुपातिक अंकेक्षण शुल्क (राशि रूपये में)	अंकेक्षण शुल्क (राशि रूपये में)
1	2	3	4	5 (3–4)
1	पंचायत समितियाँ	रू. 32,000/– प्रति वर्ष प्रति पंचायत समिति	रू. 2700/– प्रति पंचायत समिति प्रति वर्ष	रू. 29300/– प्रति पंचायत समिति प्रति वर्ष
2	ग्राम पंचायत	रू. 4000/– प्रति दिन प्रति ग्राम पंचायत	रू. 700/– प्रति दिन प्रति ग्राम पंचायत	रू. 3300/– प्रतिदिन प्रति ग्राम पंचायत
3	नगर पालिका/ परिषदें/निगम	रू. 4000/– प्रति दिन प्रति संस्था	रू. 4000/– प्रति दिन प्रति संस्था	कुल स्वीकृत कार्य दिवसों में से प्रमाणीकरण कार्य हेतु उपयोग किये गये कार्य दिवसों को घटाकर शेष कार्य दिवसों के लिए रू. 4000/– प्रति दिन प्रति संस्था

अंकेक्षण शुल्क की नवीन दरें दिनांक 01.06.2018 से लागू की गई है। अतः प्रमाणीकरण तथा शेष अंकेक्षण शुल्क की विभाजित दरें भी दिनांक 01.06.2018 से लागू होंगी।

नोट :– 1. लेखों के प्रमाणीकरण तथा अंकेक्षण कार्य के लिए प्रति ग्राम पंचायत प्रति वर्ष रू. 4000/– ही वसूल किये जाएं।

2. अन्य संस्थाओं के अंकेक्षण शुल्क की दरें समसंख्यक आज्ञा दिनांक 26.03.2018 के अनुसार ही रहेगी।

4 आलोच्य वर्ष की विशेष पहल एवं उपलब्धि

1. अंकेक्षण वर्ष 2021–22 में 1 जुलाई 2021 से 31 जुलाई, 2021 तक की अवधि में वित्त (अंकेक्षण) विभाग के परिपत्र दिनांक 16.05.2016 की पालना में 4042 पंचायतीराज संस्थाओं तथा 122 शहरी स्थानीय निकाय संस्थाओं के लेखा प्रमाणीकरण का कार्य किया गया।
2. स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम की धारा 18 के क्रम में विभाग द्वारा संपरीक्षित लेखों का वार्षिक समेकित प्रतिवेदन (लेखा परीक्षा प्रतिवेदन) वर्ष 2019–20 तैयार कर दिनांक 25.02. 2021 को राज्य विधानसभा में उपस्थापित किया गया है। राजस्थान विधानसभा की स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति द्वारा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन परीक्षण हेतु समय–समय पर बैठकों का आयोजन भी किया गया है।
3. विशेष जांच के 02 प्रतिवेदन जारी किये गये।
4. विभाग में ऑनलाईन अंकेक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा प्रदत्त ऑडिट ऑनलाईन सॉफ्टवेयर पर कार्य आरंभ कर दिया गया है।
5. विभाग में ऑनलाईन अंकेक्षण के लिए राजस्थान सरकार द्वारा प्रदत्त ऑडिट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर पर कार्य आरंभ कर दिया गया है।

5 सार–संक्षेप

अंकेक्षण वर्ष 2021–22 में 31 दिसम्बर, 2021 तक की अवधि में संस्थाओं के बकाया लेखा वर्षों सहित 6658 लेखा वर्षों का अंकेक्षण कार्य व 4042 पंचायतीराज संस्थाओं एवं 122 शहरी स्थानीय निकायों का लेखा प्रमाणीकरण कार्य सम्पादित किया गया। इसी समयावधि में 89564 सामान्य आक्षेप गठित किये एवं 9589 आक्षेप निस्तारित किये गये, जिसमें ग्राम पंचायतों के आक्षेप भी सम्मिलित हैं।

****___****